Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार**

जयपुर, *06 अगस्त शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की श्रीगंगानगर–द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये महावीर प्रसाद हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना श्रीकरणपुर में दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में श्री महावीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **श्री देवेन्द्र बिश्नोई पुलिस अधीक्षक एसीबी बीकानेर** के निर्देशन में ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर–द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश लखोटिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री विजेन्द्र सीला पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये महावीर प्रसाद पुत्र लालचन्द निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर, हाल निवास एच–14 विकासपुरी नजदीक राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर। हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि पूर्व में ही दौराने सत्यापन परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।